संख्या २५ /2015/1762 /33-3-2015-100(12)/2014

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: ०६ जुलाई 2015

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण हेतु अनुदान संख्या- 14 (सामान्य के अन्तर्गत) आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/1256/2015-5/99/2015 दिनांक 23 जून, 2015 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-20154-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2015-16 उक्त योजना के लिए प्रावधानित 40000.00 लाख में से 13760.800लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-21/2015/1546/33-3-2015100(12)/2014, दिनांक 05 जून, 2015 एवं शासनादेश संख्या-23/2015/1646/33-3-2015100(12)/2014, दिनांक 16 जून, 2015 द्वारा रू0 6340.000 लाख अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि 20100.800 लाख के सापेक्ष रू0 9670.000 लाख (रू0 छियान्बे करोड़ सत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व निदेशक, पंचायती राज स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2015-16 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-20154-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अध्ष्ठिान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्म -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रू0 18.0106 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरहित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सभी संबंधित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीक़ति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पंचायती राज-06-सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर

http://shasanadesh.up.nic.in

लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-ब्रहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितब्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितब्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(11) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(12) उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह ओदश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-20154-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0पी0सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्तजिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्तमुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

ज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

चायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-14 (सामान्य हेतु) (धनराशि लाख में)

क्र. स.	जनपद का नाम	चयनित ग्रामों की संख्या	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा कार्ययोजना के अनुसार अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत कुल मांग	वर्ष में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉट							सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तविक प्रस्तावित धनराशि (7-16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्श) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13 +14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	कौशाम्बी	8	180.0000	0.0000	180.0000	167.6250	12.3750	180.000	0.3353	2.5144	0.1676	0.1676	0.1676	3.0172	3.3525	164.2725
2	अम्बेडकर नगर	20	450.0000	0.0000	450.0000	419.0625	30.9375	450.000	0.8381	6.2859	0.4191	0.4191	0.4191	7.5432	8.3813	410.6812
3	मुरादाबाद	23	690.0000	0.0000	690.0000	642.5625	47.4375	690.000	1.2851	9.6384	0.6426	0.6426	0.6426	11.5662	12.8513	629.7112
4	सम्भल	24	610.0000	0.0000	610.0000	568.0625	41.9375	610.000	1.1361	8.5209	0.5681	0.5681	0.5681	10.2252	11.3613	556.7012
5	कासगंज	19	480.0000	0.0000	480.0000	447.0000	33.0000	480.000	0.8940	6.7050	0.4470	0.4470	0.4470	8.0460	8.9400	438.0600
6	ललितपुर	13	300.0000	0.0000	300.0000	279.3750	20.6250	300.000	0.5588	4.1906	0.2794	0.2794	0.2794	5.0288	5.5876	273.7874
7	बांदा	18	430.0000	0.0000	430.0000	400.4375	29.5625	430.000	0.8009	6.0066	0.4004	0.4004	0.4004	7.2078	8.0087	392.4288
8	देवरिया	26	560.0000	0.0000	560.0000	521.5000	38.5000	560.000	1.0430	7.8225	0.5215	0.5215	0.5215	9.3870	10.4300	511.0700
9	कुशीनगर	27	630.0000	0.0000	630.0000	586.6875	43.3125	630.000	1.1734	8.8003	0.5867	0.5867	0.5867	10.5604	11.7338	574.9537
10	हरदोई	17	410.0000	0.0000	410.0000	381.8125	28.1875	410.000	0.7636	5.7272	0.3818	0.3818	0.3818	6.8726	7.6362	374.1763

http://shasanadesh.up.nic.in

11	खीरी	17	450.0000	0.0000	450.0000	419.0625	30.9375	450.000	0.8381	6.2859	0.4191	0.4191	0.4191	7.5432	8.3813	410.6812
12	उन्नाव	7	170.0000	0.0000	170.0000	158.3125	11.6875	170.000	0.3166	2.3747	0.1583	0.1583	0.1583	2.8496	3.1662	155.1463
13	मिर्जापुर	16	380.0000	0.0000	380.0000	353.8750	26.1250	380.000	0.7078	5.3081	0.3539	0.3539	0.3539	6.3698	7.0776	346.7974
14	बहराइच	35	950.0000	0.0000	950.0000	884.6875	65.3125	950.000	1.7694	13.2703	0.8847	0.8847	0.8847	15.9244	17.6938	866.9937
15	श्रावस्ती	20	470.0000	0.0000	470.0000	437.6875	32.3125	470.000	0.8754	6.5653	0.4377	0.4377	0.4377	7.8784	8.7538	428.9337
16	इटावा	11	280.0000	0.0000	280.0000	260.7500	19.2500	280.000	0.5215	3.9113	0.2608	0.2608	0.2608	4.6937	5.2152	255.5348
17	औरैया	10	230.0000	0.0000	230.0000	214.1875	15.8125	230.000	0.4284	3.2128	0.2142	0.2142	0.2142	3.8554	4.2838	209.9037
18	मैनपुरी	13	300.0000	0.0000	300.0000	279.3750	20.6250	300.000	0.5588	4.1906	0.2794	0.2794	0.2794	5.0288	5.5876	273.7874
19	हाथरस	11	270.0000	0.0000	270.0000	251.4375	18.5625	270.000	0.5029	3.7716	0.2514	0.2514	0.2514	4.5258	5.0287	246.4088
20	एटा	19	480.0000	0.0000	480.0000	447.0000	33.0000	480.000	0.8940	6.7050	0.4470	0.4470	0.4470	8.0460	8.9400	438.0600
21	महोबा	8	200.0000	0.0000	200.0000	186.2500	13.7500	200.000	0.3725	2.7938	0.1863	0.1863	0.1863	3.3527	3.7252	182.5248
22	महाराजगंज	32	750.0000	0.0000	750.0000	698.4375	51.5625	750.000	1.3969	10.4766	0.6984	0.6984	0.6984	12.5718	13.9687	684.4688
	योग-	**397**	**9670.0000**	**0.0000**	**9670.0000**	**9005.1875**	**664.8125**	**9670.000**	**18.0106**	**135.0778**	**9.0054**	**9.0054**	**9.0054**	**162.0940**	**180.1046**	**8825.0829**

(रूपया छियानबे करोड सत्तर लाख मात्र)

नोटः कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि संबंधित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in